

274

150

102

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

जिला ग्वालियर म०प्र०

133
12-3-14

R-201-

R-1242-11/14

रामपाल मल्लाह उम्र-75 साल तनय स्व० नर्मदा मल्लाह साकिन देवरा
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०निगराकार

बनाम

- 01- शासन म०प्र० द्वारा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म०प्र०
- 02- रविकुमार तत्कालीन पटवारी हल्का बम्हौर वृत्त डाम्हा, तहसील नागौद, जिला सतना म०प्र०
- 03- गया प्रसाद मल्लाह तनय रमइया मल्लाह
- 04- लल्लू मल्लाह तनय रमइया मल्लाह
- 05- बब्बू मल्लाह तनय रमइया मल्लाह
- 06- शिव प्रसाद मल्लाह तनय रमइया मल्लाह
- 07- रामदुलारी मल्लाह बेवा शंकर मल्लाह
- 08- शिवप्रसाद मल्लाह तनय शंकर मल्लाह
- 09- गणेशा मल्लाह पिता गौरिया मल्लाह
- 10- हीरालाल मल्लाह पिता किशोरी मल्लाह

सभी निवासी देवरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....

.....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त
डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म०प्र० के
मामला क०-52अ12/2011-12 आदेश

दिनांक 22/09/2012

मान्यवर,

श्री अन्वित चपा 50 म०प्र०/११८-६५

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि निगराकार आराजी
नं०-764/1ग रक्वा 0.195हे० बाके मौजा बम्हौर, तहसील नागौद,
जिला सतना म०प्र० का भूमिस्वामी काबिजदार है। उक्त आराजी
निगराकार की पुस्तैनी आराजी है जो कि निगराकार एवं उसके भाईयों

क्रमशः.....2


150

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.1242-II/14..... जिला..... सतना

..... शम्भू लाल शर्मा विरुद्ध शासन, शिवपुरी

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अश्वलाश निगम..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त..... तहसील..... के प्रकरण क्रमांक..... 52/37-12/2011-12..... में पारित आदेश दिनांक..... 22.09.12..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 29.03.19..... को कलेक्टर..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	